

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
 पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
 राजस्व आवेदन संख्या :- 23/2025
 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/33

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

चुतराराम पुत्र आदाराम
 जाति जाट निवासी कंवरली
 तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

1. गंगाराम पुत्र आदाराम
जाति जाट निवासी कंवरली
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा
2. दलपतसिंह पुत्र मनोहरसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
3. पपाराम पुत्र पुनमाराम
जाति जाट निवासी कालेवा
4. हुकमाराम पुत्र खेमाराम
जाति जाट निवासी कालेवा
5. अचलाराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी साजियाली
6. पन्नाराम पुत्र अमराराम
जाति जाट निवासी साजियाली
7. खुमानसिंह पुत्र भीमसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
8. तगतसिंह पुत्र मोतीसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
9. रामसिंह पुत्र मंगलसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
10. विशनसिंह पुत्र मोतीसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
11. हरीसिंह पुत्र भीमसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
12. दलपतसिंह पुत्र फतेहसिंह
जाति राजपूत निवासी कालेवा
13. जोगाराम पुत्र ईशाराराम
जाति जाट निवासी कालेवा



उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

14.शिवराम पुत्र ईशराराम

जाति जाट निवासी कालेवा

10.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 21/4/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि की नेंखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में आवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी संमस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.1.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाता न्यायसंगत प्रतीत होता है।

--आदेश--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कालेवा पटवार हल्का कालेवा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 967/659 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर,



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) जालोतरा

खसरा संख्या 968/659 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर व खसरा संख्या 969/659 क्षेत्रफल 4.0630 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आरांजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21/04/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

21/04/25